

भारत गणराज्य को सरकार तथा पेरु गणराज्य को  
सरकार के बीच सांस्कृतिक करार

---

भारत गणराज्य को सरकार तथा पेरु गणराज्य को सरकार घनिष्ठतर सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने तथा विकसित करने को सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर, तथा खेल, जन-स्वास्थ्य और सूचना के जन-संचार और शिक्षा, के क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रमों सहित कला, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्रों में भारत और पेरु के बीच हर सम्भव तरीके से संबंधों और सद्भावना को प्रोन्नत करने तथा विकसित करने को इच्छा से, निम्नीलिखित करार करने के लिए सहमत हुई हैं :-

अनुच्छेद- 1

संविदाकारी पक्षकार, जन-स्वास्थ्य, सूचना के जन-संचार और शिक्षा, खेलकूद और पत्रकारिता के क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रमों सहित कला और संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को सुकर बनायें तथा प्रोत्साहित करेंगे ताकि वे इन क्षेत्रों में अपनी-अपनी संस्कृति तथा कार्यक्रमों की बेहतर जानकारी प्रदान कर सकें ।

अनुच्छेद - 2

संविदाकारी पक्षकार निम्नीलिखित को प्रोत्साहित करेंगे तथा सुकर बनायें :-

- 1 ॥ दूरियों तथा अध्ययन परियोजनाओं के लिए पारस्परिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान ॥ विशेषज्ञ तथा लेखक ॥ ।
- 2 ॥ कलात्मक मण्डलियों का सांस्कृतिक आदान-प्रदान ;
- 3 ॥ सांस्कृतिक तथा कलात्मक प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान ।
- 4 ॥ अनुसंधान परियोजनाओं को आरम्भ करने तथा विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर व्याख्यान देने के लिए शिक्षकों, बुद्धिजीवियों तथा विशेषज्ञों का पारस्परिक आदान-प्रदान ।

- 5१ पारस्परिक रूप से छात्रवृत्तियां प्रदान करना तथा विभिन्न आवश्यकताओं और संभावनाओं के अनुसार, जो आपस में तय की जासंगी, स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर उन छात्रों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं ।
- 6१ दोनों देशों में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले मंत्रालयों अथवा संस्थाओं के बीच सम्पर्क तथा सहयोग स्थापित करने को प्रोन्नत करना तथा सुकर बनाना ।
- 7१ दोनों देशों की शिक्षक संस्थाओं के बीच नियम-पुस्तिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य सामग्रियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना ।
- 8१ प्रत्येक देश द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलनों के लिए अन्य संविदाकारी देश के बुद्धिजीवियों तथा विशेषज्ञों को आमंत्रित करना तथा उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना ।
- 9१ दोनों देशों की शिक्षक संस्थाओं द्वारा प्रदत्त डिप्लोमाओं और उच्चतर शिक्षक केन्द्रों द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों, प्रमाण-पत्रों और/अथवा डिप्लोमाओं को देशों के कानूनी मानदंडों के अनुसार पारस्परिक मान्यता प्रदान करना ।

अनुच्छेद - 3

संविदाकारी पक्षकार, यथा संभव यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी शिक्षक संस्थाओं के लिए निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों, विशेष रूप से इतिहास और भूगोल से संबंधित पाठ्य-पुस्तकों में एक दूसरे के देश के संबंध में कोई गलती अथवा तथ्यों का मिथ्या वर्णन न हो ।

अनुच्छेद - 4

संविदाकारी पक्षकार अन्य देश की साहित्यिक, कलात्मक और पेशानिक कृतियों का उपयुक्त संस्थाओं के माध्यम से पारस्परिक अनुवाद और प्रकाशन तथा पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों, संगीत स्कोर्स, कला-प्रतिकृतियों, रिकार्डों, मैग्नेटोफोनिक टेपों, फिल्मों और सांस्कृतिक-



कलात्मक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय स्वरूप की अन्य सामग्री के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद - 5

संविदाकारी पक्षकार खेल सम्बन्धों को विकसित करने के लिए खिलाड़ियों/ महिलाओं और प्रशिक्षकों के विनियम के माध्यम से तथा मैत्री प्रतियोगिताएं आयोजित करके अपनी खेल संस्थाओं के बीच सम्बन्धों और सहयोग को विभिन्न आवश्यकताओं और सम्भावनाओं के अनुसार सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे ।

अनुच्छेद - 6

पिछले करार के अनुसार, संविदाकारी पक्षकार प्रेस, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन और सिनेमाटोग्राफी के क्षेत्रों में विनियम और सहयोग करेंगे । वे दोनों देशों की फिल्म कम्पनियों के बीच कलात्मक और वाणिज्यिक विनियम को भी प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद - 7

पिछले करार के अनुसार, संविदाकारी पक्षकार सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में दौरे करने, सम्मेलनों में भाग लेने तथा प्रासंगिक विषयों की सामग्री के विनियम के लिए शिष्टमण्डलों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करने के लिए सहमत है ।

अनुच्छेद - 8

संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों के संग्रहालयों, पुस्तकालयों तथा अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं से संबंधित सांस्कृतिक विरासत, इतिहास तथा कला पर लिखित सामग्री और प्रतिकृतियाँ, चित्रों के विनियम के लिए अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद - 9

संविदाकारी पक्षकार, अपने कानूनों और विनियमों के अनुसार, दूसरे संविदाकारी देश को सांस्कृतिक और कलात्मक प्रदर्शनियों से संबंधित

सांस्कृतिक और कलात्मक वस्तुओं के अस्थायी प्रवेश और निकास को सुकर बनास्गे ।

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपने क्षेत्र में इन वस्तुओं की विद्यमानता के दौरान और दूसरे संविदाकारी पक्षकार को इनको लौटाने समय भी इनकी सुरक्षा की गारन्टी प्रत्येक मामले में विशिष्ट प्रबन्धों के लिए पारस्परिक रूप से हुई सहमति के अनुसार देगे ।

अनुच्छेद - 10

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे पक्षकार को सांस्कृतिक वस्तुओं को लौटाने में सहयोग करने के लिए बचनबद्ध होगा यदि उन्हें मूल देश से बाहर गैर-कानूनी तौर पर लाया गया हो और वे उसके क्षेत्र में विद्यमान हों ।

अनुच्छेद - 11

आवश्यक समझे जाने पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, इस करार में शामिल किए गए एक या अधिक क्षेत्रों में विनिमय कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श करने और सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने के लिए अन्य पक्षकार को राजनयिक माध्यमों से एक या कई प्रतिनिधियों अथवा शिष्टमण्डल भेजने तथा स्वागत करने का प्रस्ताव कर सकता है । संविदाकारी पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि कार्यकारी योजना तथा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान का व्यय अलग से राजनयिक माध्यमों से निर्धारित किया जायेगा ।

अनुच्छेद - 12


वर्तमान करार अनुसमर्धन के दस्तावेजों के विनिमय की तारीख से लागू होगा । यह पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा और उसके बाद पांच-पांच वर्ष की और अवधि के लिए स्वतः ही नवीकृत हो जायेगा । जब तक कि कोई भी संविदाकारी पक्षकार अन्य पक्षकार को वर्तमान करार को समाप्त करने के अपने आग्रय को सूचना छः माह पूर्व नहीं दे देता । इस करार में पारस्परिक सहमति से संशोधन किया जा सकता है ।



इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने संविदाकारी पक्षकारों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में इस करार पर अपनी-अपनी मोहरें लगाई हैं ।

नई दिल्ली में, 1908 शक संवत् १ के माघ माह के 5वें दिन तदनुसार 1987 ईसवी सन् १ के जनवरी माह के 25वें दिन दो मूल प्रतियों में, प्रत्येक हिन्दो, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषाओं में किया गया । सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे ।

भारत गणराज्य की  
सरकार की ओर से



॥ नारायण दत्त तिवारी ॥  
विदेश मंत्री

पेरू गणराज्य की  
सरकार की ओर से



॥ अलान वाग्नेर टिसोन ॥  
विदेश मंत्री

CULTURAL AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PERU

###

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Peru,  
INSPIRED BY a common desire to establish and develop closer cultural relations, and  
DESIROUS OF promoting and developing in every possible manner the relations and understanding between India and Peru in the realms of art, culture, education, including academic activity in the fields of sports, public health, and mass media of information and education,  
HAVE AGREED to conclude the following Agreement:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall facilitate and encourage cooperation in the fields of art and culture, education, including academic activity in the fields of public health, mass media of information and education, sports and games and journalism in order to contribute towards a better knowledge of their respective cultures and activities in these fields.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall encourage and facilitate:

- (1) reciprocal cultural exchange (experts and writers for visits and study projects,
- (2) cultural exchange of artistic troupes,
- (3) exchange of cultural and artistic exhibitions,
- (4) reciprocal exchange of teachers, intellectuals and specialists to undertake research projects, and to deliver lectures at different education levels.
- (5) reciprocal grant of scholarships and encourage exchange of students at graduate and post graduate levels having no scholarships, according to different needs and possibilities to be worked out mutually.



- (6) promote and facilitate the establishment of contacts and collaboration between the Ministries or institutions that represent higher education in both countries.
- (7) encourage the exchange of manuals, books and other material between educational institutions of both countries.
- (8) invite intellectuals and specialists from other Contracting country to international academic conferences organised by each country and provide all necessary facilities to them.
- (9) reciprocal recognition of degrees, certificates and/or diplomas, granted by higher educational centres as well as diplomas granted by educational institutions of the two countries, in accordance with legal norms of the countries

#### ARTICLE 3

The Contracting Parties shall, to the extent possible, ensure that text books prescribed for their educational institutions, particularly those relating to History and Geography, do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country.

#### ARTICLE 4

The Contracting Parties shall encourage reciprocal translation and publication of literary, artistic and scientific works of the other country through appropriate institutions and the exchange of books, magazines, newspapers, musical scores, art reproduction, records, magnetophonic tapes, films and other material of cultural artistic, educational, scientific and technological character.

#### ARTICLE 5

The Contracting Parties, shall endeavour to strengthen the ties and collaboration between their sports institutions, according to different needs and possibilities through the exchange of sportsmen/women and coaches and by organising friendly competitions in order to develop sporting contacts.

ARTICLE 6

Subject to previous agreement, the Contracting Parties, will carry out exchange and collaboration in the fields of press, radio broadcasting, television and cinematography. They will also encourage artistic and commercial exchange between film companies, of both countries.

ARTICLE 7

Subject to previous agreement, the Contracting Parties agree to exchange delegations and specialists in the field of social sciences, in order to undertake visits, attend conferences, and exchange material on relevant subjects.

ARTICLE 8

The Contracting Parties will provide the necessary facilities for the exchange of replicas, photographs and written material on cultural heritage, history and art, belonging to museums, libraries and other cultural institutions of both countries.

ARTICLE 9

The Contracting Parties, in accordance with their laws and regulations will facilitate the temporary entrance and exit of cultural and artistic objects belonging to cultural and artistic exhibitions from the other contracting country.

Each <sup>of</sup> the Contracting Parties will guarantee the protection of these objects during their presence in its territory, as well as the returning of the objects to the other Contracting Party subject to specific arrangements to be mutually agreed on in each case.

ARTICLE 10

Each of the Contracting Parties will undertake to cooperate in the return of cultural objects belonging to the other party in case they have been illegally taken out of the original country and are present in their territory.



ARTICLE 11

Whenever it is considered necessary, each of the Contracting Parties may propose to the other, through diplomatic channels, the sending or receiving of one or several representatives or a delegation to discuss exchange programmes in one or more of the fields covered by this agreement and to sign the cultural exchange programme. The Contracting Parties, agree that the executive plan and the expenses of cultural and educational exchange, will be determined separately through diplomatic channels.


ARTICLE 12

The present agreement shall come into force on the date of the exchange of the instruments of ratification. It shall remain in force for a period of five years and shall be renewed automatically thereafter for further periods of five years each until either Contracting Party gives to the other a six months prior notice of its intention to terminate the present agreement. This Agreement may be modified by mutual consent.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised representatives of the Contracting Parties have affixed their seals thereto.

DONE at New Delhi on this 5th day of Magha 1908(SAKA) corresponding to the twentyfifth day of January, One thousand ninehundred and eightyseven A.D. in two originals, each in the Hindi, Spanish, English languages, all the text being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDIA



( NARAYAN DATT TIWARI )  
Minister of External Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF PERU



( ALLAN WAGNER TIZON )  
Minister for External Relations